



Neutral Citation No. - 2026:AHC:65755

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के अंतर्गत आवेदन संख्या – 49648 of 2025

नीरज कुमार @ पंचम एवं 3 अन्य

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव (गृह), उ.प्र., लखनऊ के माध्यम से एवं अन्य

.....विपक्षीगण

आवेदकगण के अधिवक्ता : राम यश चौहान

विपक्षीगण के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या – 79

माननीय न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना

1. श्री पवन कुमार पांडेय, अधिवक्ता (याचिकाकर्ता की ओर से संक्षिप्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए) तथा राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
1. वर्तमान आवेदन धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें दिनांक 04.01.2021 के संज्ञान आदेश/समन आदेश, दिनांक 28.01.2020 की आरोपपत्र तथा वाद संख्या 277 वर्ष 2021 (राज्य बनाम गोरे एवं अन्य), जो कि वाद अपराध संख्या 43 वर्ष 2020, धारा 323, 325, 504,

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



- 506, 452 भारतीय दंड संहिता, थाना-कोखराज, जनपद-कौशाम्बी से उत्पन्न हुआ है, को निरस्त करने की प्रार्थना की गई है।
2. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा पूरक शपथपत्र अपलोड किया गया है, जिसमें पक्षकारों के मध्य हुआ समझौता संलग्न है। वही अभिलेख पर लिया गया।
 3. प्रतिवादी संख्या-2 को नोटिस जारी करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि प्रतिवादी संख्या-2 स्वयं समझौते का लेखक है।
 4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कथन है कि प्रतिवादी संख्या-2 द्वारा दिनांक 20.01.2020 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें आरोप था कि दिनांक 15.01.2020 को सायं 5:00 बजे याचिकाकर्ता-आरोपियों, जो पड़ोसी हैं, ने उसके घर में प्रवेश कर लाठी-डंडे से मारपीट की। चूंकि पक्षकार पड़ोसी हैं, उन्होंने आपसी विवाद समाप्त कर समझौता कर लिया है, जो आवेदन के पृष्ठ संख्या 55 पर संलग्न है। मूल प्रति विचारण न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अतः इस न्यायालय से हस्तक्षेप की प्रार्थना की गई है।
 5. राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता ने कोई आपत्ति नहीं जताई यदि पक्षकार विचारण न्यायालय में समझौता प्रस्तुत करते हैं।
 6. माननीय उच्चतम न्यायालय ने *गिआन सिंह बनाम पंजाब राज्य* (2012) 10 SCC 303 में उच्च न्यायालय की अंतर्निहित अधिकारिता पर विचार किया है, विशेषकर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के संदर्भ में, और यह प्रतिपादित किया है कि उच्च न्यायालय की अंतर्निहित अधिकारिता न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति तथा न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने हेतु प्रयोग की जानी चाहिए। प्रासंगिक अनुच्छेद 61, जिसमें

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



यह दृष्टिकोण स्पष्ट किया गया है कि किन परिस्थितियों में उच्च न्यायालय को कार्यवाही निरस्त करनी चाहिए, पुनः उद्धृत किया जाता है:

".....उच्च न्यायालय की शक्ति किसी आपराधिक कार्यवाही या प्राथमिकी या शिकायत को निरस्त करने की, उसकी अंतर्निहित अधिकारिता के प्रयोग में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के अंतर्गत अपराधों के समझौते की शक्ति से भिन्न है। अंतर्निहित शक्ति व्यापक है, किन्तु इसका प्रयोग न्याय की उद्देश्यों की पूर्ति अथवा न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने हेतु किया जाना चाहिए। किन मामलों में अपराधी और पीड़ित के बीच समझौते के आधार पर कार्यवाही निरस्त की जा सकती है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। किन्तु उच्च न्यायालय को अपराध की प्रकृति और गंभीरता का ध्यान रखना होगा। हत्या, बलात्कार, डकैती जैसे घोर अपराधों को केवल समझौते के आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अथवा लोक सेवकों द्वारा पद पर रहते हुए किए गए अपराधों में समझौता निरस्तीकरण का आधार नहीं हो सकता। किन्तु वे आपराधिक मामले जिनका स्वरूप मुख्यतः दीवानी प्रकृति का है, जैसे वाणिज्यिक, वित्तीय, साझेदारी, वैवाहिक विवाद (दहेज आदि) अथवा पारिवारिक विवाद, जहाँ अपराध निजी अथवा व्यक्तिगत प्रकृति का है और पक्षकारों ने विवाद समाप्त कर लिया है, वहाँ उच्च न्यायालय कार्यवाही निरस्त कर सकता है यदि समझौते के कारण दोषसिद्धि की संभावना नगण्य हो और कार्यवाही जारी रखना अन्यायपूर्ण हो।"

8. यह कि पक्षकारों (सूचक, पीड़ित एवं आरोपी) ने समझौता किया है या नहीं, इसका सर्वोत्तम परीक्षण विचारण न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। अतः पक्षकार विचारण न्यायालय में उपस्थित होकर 30 दिनों के भीतर समझौता प्रस्तुत करें, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाएगा। मूल प्रति अभिलेख में सुरक्षित की जाएगी।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



9. यदि सूचक, पीड़ित एवं आरोपी हस्ताक्षरकर्ता न हों अथवा न्यायालय में सत्यापन हेतु उपस्थित न हों, तो विचारण न्यायालय समझौते को स्वीकार नहीं करेगा। आपात स्थिति में विचारण न्यायालय अपने विवेक से उपयुक्त आदेश पारित करेगा।
10. यदि समझौता निर्धारित अवधि में प्रस्तुत एवं सत्यापित किया जाता है, तो विचारण न्यायालय की कार्यवाही 60 दिनों तक स्थगित रहेगी। अन्यथा विचारण न्यायालय विचारण जारी रखेगा।
11. सभी पक्षकार, जिन्होंने समझौता प्रस्तुत कर सत्यापित कराया है, तत्पश्चात उच्च न्यायालय में संयुक्त आवेदन प्रस्तुत कर आपराधिक कार्यवाही निरस्त करने हेतु अंतर्निहित अधिकारिता का आह्वान करेंगे।
12. उपर्युक्त के आलोक में, धारा 528 बी.एन.एस.एस./482 दं.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन निस्तारित किया जाता है।

(न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना)

दिनांक : 28 मार्च, 2026

शिवांगी

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”